



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 247 राँची, मंगलवार,

3 जून, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

2 जून, 2025

संख्या-09/आरोप (धनबाद)-119/2023-1490 (09)/रा.,--उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद का पत्रांक-2457, दिनांक-12.07.2023 द्वारा श्रीमती श्वेता कुमारी, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, धनबाद सम्प्रति उप निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध निबंधन के क्रम में कागजातों का विधिवत् सत्यापन नहीं करने, प्रश्नगत भूमि के निबंधन के दस्तावेज सत्यापन को गंभीरता से नहीं लेने, दस्तावेज जांच एवं भू-विवरणी का सत्यापन विधिवत् नहीं करने एवं संवेदनशील मामलों में लागू नियमों व प्रावधानों के अनुपालन हेतु यथोचित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए निबंधित दलीलों का निबंधन करने का आरोप प्रतिवेदित है ।

2. प्राप्त आरोप एवं उपायुक्त से प्राप्त मंतव्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित प्रतीत होता है ।

3. उक्त आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु श्रीमती श्वेता कुमारी के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।
4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-6840, दिनांक-15.10.2024 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री इकबाल आलम अंसारी (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0), विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।
5. अपर समाहर्ता, धनबाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव कुमार,
सरकार के उप सचिव ।
